<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 32/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 32/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 31 दिसम्बर, 2021

मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल) द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद में 01.08.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ से संबंधित दिनांक 29.07.2021 के आदेश संख्या 05/2021-22 के मामले में- तदर्थ टैरिफ आदेश 28.02.2022 तक बढ़ाना

प्राधिकरण ने दिनांक दिनांक 29.07.2021 के आदेश संख्या 05/2021-22 द्वारा मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल) के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में 01.08.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन प्रदान किया है।

2. इस संबंध में मैसर्स जीबीएएसपीएल के संबंध में अहमदाबाद हवाईअड्डे के लिए टैरिफ निर्धारण का कार्य अभी जारी है। प्राधिकरण ने परामर्श पत्र संख्या 24/2021-22 दिनांक 07.12.2021 को पहले ही जारी कर दिया है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण महसूस करता है कि उपर्युक्त सेवा प्रदाता के लिए टैरिफ निर्धारण के कार्य में कुछ और समय लग सकता है। इस कारण से इस बीच प्राधिकरण ने 31.12.2021 को लागू मौजूदा टैरिफ को तदर्थ आधार पर 01.01.2022 से 28.02.2022 तक अगले दो (02) माह की अवधि के लिए या नियमित टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश

5. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाले मैसर्स जीबीएएसपीएल, अहमदाबाद को 31.12.2021 को लागू मौजूदा तदर्थ टैरिफ 01.01.2022 से 28.02.2022 तक की दो (02) माह की अगली अवधि, या, ऐरा द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ का निर्धारण किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) दिनांक 29.07.2021 के आदेश संख्या 05/2021-22 की अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री संजय सावंत,
मुख्य वित्तीय अधिकारी,
मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल),
ई-9, कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली -110001

प्रतिलिपि:

1. सचिव,
   नागर विमानन मंत्रालय,
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003.

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
   अडानी कॉर्पोरेट हाऊस,
   शांतिग्राम, अहमदाबाद, गुजरात